न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 502/2019/223 (2019/00502)

1. सुखदेव पुत्र नारायण (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— रामधन पुत्र सुखदेव,
   1/2— महावीर पुत्र सुखदेव,
   1/3— कमलेश पुत्र सुखदेव,
   1/4— धन्नी पुत्री सुखदेव,
   1/5— मंजू पुत्री सुखदेव,
   1/6— हेमा पुत्र सुखदेव,
2. गोपाल पुत्र रामलाल (रामलाल पुत्र नारायण)
3. तेजमल पुत्र रामलाल,
   समस्त जाति माली, निवासी कादेड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकिशन पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 10.2.2014 अंतर्गत वाद संख्या 155/2010.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़ एवं श्री शिवप्रकाश चौधरी वकील अपीलांट सं0 1/1 से 1/6.
2. श्री महेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
3. श्री वी0पी0सिंह राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 31.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.2.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमर के खाता संख्या 152—728 के 9 खसरा नंबरान की आराजियात स्थित है । उक्त आराजियात में वादीगण का

1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का बंटवारा कराने हेतु कई बार प्रतिवादीगण को कहा किन्तु वे टालते रहे जिससे मौके पर आपस में विवाद होता रहता है । अतः आराजी मुतनाजा का बंटवारा कराया जाकर वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का 2/3 हिस्सा दिलवाया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 13.12.2012 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तथा तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 10.2.2014 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस संख्या 1/1 से 1/6 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 10.2.2014 को उसी रोज बंटवारा स्कीम प्राप्त कर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किये बिना व कोई नोटिस दिये बिना गलत तौर पर मौके के विपरीत तैयार की गई स्कीम के अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने में भारी भूल की है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया है कि बंटवारा प्रस्तार तैयार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना तहसीलदार, केकड़ी द्वारा नहीं दी गई व अपीलांट को उसके कब्जे के विपरीत स्थान पर हिस्सा देकर जो निर्णय पारित किया है वह मौके के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने भी राजस्थान टिनेन्सी नियम के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अंतिम डिक्री पारित करने में भारी भूल की है अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य पूर्व से ही पारिवारिक बंटवारा होकर अपीलांट अपने हिस्से अनुसार रोड़ की तरफ की भूमि पर काबिज चले आ रहे है किन्तु विपक्षी ने मौके के विपरीत अपीलांट को खसरा नंबर 926, 924, 925, 1027, 1028, 2971, 2972, 2978 च 1914 का गैर कानूनी रूप से बंटवारा किया है व अपीलांट एक्जाई तौर पर पूर्व बंटवारे के अनुसार सभी खेतों में गलत तौर पर सभी पक्षकारान को बंटवारा कर गलत मौका स्कीम के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने में भूल की है । अधी0न्याया0 ने जमाबंदी में दर्ज सभी पक्षकारों को स्कीम में हिस्सा न देने व वाद में पक्षकार बनाये बिना डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट संख्या 1 ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी किये बिना एकतरफा में दिनांक 10.2.2014 को अंतिम डिक्री पारित की है जिसकी प्रार्थी को हाल ही में दिनांक 16.7.2014 को विपक्षीगण के कहने पर जानकारी हुई । तब प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी में जाकर प्रकरण की जानकारी की तथा निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 22.4.2014 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाकिव है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस संख्या 2 व 3 भी अधी0न्याया0 के निर्णय व अंतिम

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

डिक्री से संतुष्ट नही है चूंकि पक्षकारान के मध्य वर्षो पूर्व ही आपसी पारिवारिक बंटवारा हो था तथा उसी अनुसार पृथक–पृथक काबिज काश्त चले आ रहे है एवं अपने–अपने हिस्से को विकसित कर काश्त करते आ रहे है किन्तु अधी0न्याया0 ने पारिवारिक बंटवारे अनुसार बंटवारा नहीं किया है । यह भी कथन किया कि अपीलांटस संख्या 2 व 3 को अपील में रेस्पो0 पक्षकार नियुक्त किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 के निर्णय से अपीलांटस संख्या 2 व 3 के हित प्रभावित होने से ट्रोसपोजिशन ऑफ पार्टीज के आधार पर अपीलांट बनाया गया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा जवाबदावा पेश कर वाद पत्र की चरण संख्या 1 से 6 के कथनों को स्वीकार कर कथन किया कि वादवर्णित आराजियात खाता संख्या नया 152 पुराना 728 के खसरा नंबर 924 रकबा 2.48, खसरा नंबर 925 रकबा 0.71 है0,, 926 रकबा 2.22 है0,, 1027 रकबा 1.59 है0, 1028 रकबा 0.30 है0, 1914 रकबा 0.23 है0, 2971 रकबा 0.22 है0, 2972 रकबा 0.38 है0, 2975 रकबा 0.49 है0 एवं खसरा नंबर 1956, 2965, 2965, 2965 का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा ट्रेस में विधिक बंटवारा किया जावे । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर वाद में अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारा का वाद पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद दिनांक 13.12.2012 को स्वीकार कर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा तहसीलदार, केकड़ी को कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये है । तहसीलदार, केकड़ी ने अधी0न्याया0 के आदेशों की पालना में दिनांक 20.12.2013 को मौके पर पहुंचकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये है। तहसीलदार ने गोपाल, तेजमल पि0 रामलाल के हिस्से में रखी गई आराजियात में नामांतकरण संख्या 1491 दिनांक 18.12.2011 व 1534 दिनांक 18.2.2011 द्वारा तेजमल का हिस्सा बैचान होने से विक्रय किये गये हिस्से को तेजमल के हिस्से में रखा है । इसी प्रकार सुखदेव पि0 नारायण द्वारा बेचान की गई आराजी जरिये नामांतकरण संख्या 1558 दिनांक 20.4.2011 के अनुसार सुखदेव के हिस्से में रखी गई है । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 द्वारा उभयपक्षों की बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी गई है । उभयपक्षों एवं उनके अभिभाषकगण ने बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किये जाने पर अधी0न्याया0 ने बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद में अंतिम डिक्री पारित की है । यदि अपीलांट को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज पेश करने चाहिये थे । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद में अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद संख्या 155/2010 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.2.2014 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर